न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 179/2019 | तारीख दायरा 09.10.2019 | तारीख फैसला 23.01.2023

पीठासीन अधिकारी–हरविन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– सिंकू योगी पुत्री रामगोपाल , पत्नी सत्यनारायण जाति योगी निवासी कासमपुरा हाल निवासी म0नं0 215 चरण चौकी, उम्मेदगंज तहसील लाड़पुरा जिला कोटा

(वादनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादनी की ओर से – श्री रघुवीर वैष्णव एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से – श्री तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादनी की ओर से निम्न आधारो पर यह वाद पत्र पेश किया है कि:–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता नं0 नया 123 व पुराना नं0 114 पर निम्न खसरा नम्बरान की भूमि वाके ग्राम कासमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 133 की 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 193 की 0.36 है0, खसरा नम्बर 441 की 1.84 है0 कुल तीन किता की 2.23 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादनी का नाम रिंकू बाई दर्ज है। जिसमें वादनी व अन्य सहखातेदार भाई बहिन व माता का 1/2 हिस्सा अंकित है।

यह कि वादनी का बोलता नाम रिंकू है तथा कागजात में सिंकू योगी है तथा दोनों नामों से पुकारते है वादनी का नाम सिंकू योगी होने के कारण वादनी को बैंक से ऋण हेतु आदि लेने में भी असुविधा हो रही है। वादीनी के पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में वादनी का नाम सिंकू योगी अंकित है।

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रिंकू बाई के स्थान पर सिंकू योगी दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 29.08.2019 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:–

1– कि ग्राम कासमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बरान की भूमि वाके ग्राम कासमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 133 की 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 193 की 0.36 है0, खसरा नम्बर 441 की 1.84 है0 कुल तीन किता की 2.23 हेक्टर

भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रिंकू बाई के स्थान पर सिंकू योगी अथवा रिंकू उर्फ सिंकू योगी दर्ज किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2– कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवाई जावे।

वादनी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गये:–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम कासमपुरा की सम्वत 2073–2076

2– नकल छाया प्रति भामाशाह कार्ड

3– आधार कार्ड की छाया प्रति

4– शपथ पत्र सिंकू योगी

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई।

प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद मय पटवारी हल्का रिपोर्ट के साथ जवाब दावा प्रस्तत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में रिंकू बाई व सिंकू योगी एक ही महिला होना प्रकट किया गया है एवं वादनी का नाम दुरूस्त करने की अभिशंषा की गयी है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, जवाब सरकार, राजस्व रिकार्ड के गहन अवलोकन करने पर वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। समस्त दस्तावेजात से वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता नं0 नया 123 व पुराना नं0 114 पर निम्न खसरा नम्बरान की भूमि वाके ग्राम कासमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 133 की 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 193 की 0.36 है0, खसरा नम्बर 441 की 1.84 है0 कुल तीन किता की 2.23 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में रिंकू बाई के स्थान पर रिंकू बाई उर्फ सिंकू योगी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.1.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद